हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड,धर्मशाला-176213

क्रमांकः हि.शि.बो. संबद्धता/38/2016- 20999-21008 दिनांक : 01/07/2016

" अधिसूचना "

अधिसूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार/शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व की भांति सत्र (2016-18) में भी D.El.Ed. (जे०बी०टी०) प्रवेश परीक्षा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से आयोजित करवाने का निर्णय लिया है। D.El.Ed. (जे०बी०टी०) प्रवेश परीक्षा में मैरिट के आधार पर संबद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों को भी NCTE द्वारा निर्धारित की गई सीटों अनुसार बच्चों का आबंटन होना है।

जिन निजी शिक्षण संस्थानों को NCTE से D.El.Ed. (जे०बी०टी०) की मान्यता (Recognition) एंव सरकार/शिक्षा विभाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त है केवल वही संस्थान जे०बी०टी० की संबद्धता हेतु हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को आवेदन कर सकते है।

आवेदन पत्र एंव उससे सम्बन्धित दिशा-निर्देश बोर्ड की वैबसाईट www.hpbose.org के Affiliation folder पर उपलब्ध है। इच्छुक संस्थान इसे download कर उसमें मांगी गई वांछित जानकारी भरकर बोर्ड कार्यालय को भेज सकते है। संस्थान को आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेजों को संलग्न करना भी अनिवार्य होगाः-

1. संबद्धता आवेदन शुल्क रूपये 50,000/- (संबद्धता प्राप्त होने पर) का बैंक ड्राफ्ट, सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड के नाम से बना हो तथा धर्मशाला में देय हो।
2. NCTE द्वारा जे०बी०टी० हेतु जारी मान्यता पत्र की प्रति।
3. संस्थान में D.El.Ed. (जे०बी०टी०) हेतु NCTE द्वारा निर्धारित कार्यरत स्टाफ (faculty Staff) की सूची, जोकि सम्बन्धित सरकारी DIET से अनुमोदित हो।
4. नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र कि प्रति जोकि अधिशाषी अभियन्ता सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किया गया हो ।
5. नवीनतम अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रति, जोकि मुख्य अग्नि सुरक्षा अधिकारी, शिमला द्वारा जारी किया गया हो।

उक्त के अतिरिक्त यदि कोई संस्थान इस सम्बन्ध में और कोई जानकारी चाहता है तो वह दूरभाष न० 01892-242145 पर जानकारी प्राप्त कर सकता है। शुल्क एंव आवेदन की तिथियों का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः-

1.	संबद्धता शुल्क	= 50,000/- (If affiliation granted)
2.	आवेदन पत्र शुल्क	= 2,000/- (Non refundable)
3.	बिना विलम्ब शुल्क आवेदन की तिथि	= 15/07/2016
4.	विलम्ब शुल्क 5000/-सहित आवेदन की अंतिम तिथि	= 30/07/2016

सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. समस्त सहायक सचिव/अनुभाग अधिकारी, हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड।
2. समस्त जिला प्रबन्धक,पुस्तक विक्रय केन्द्र,हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड।
3. निजी सचिव(सचिव/अध्यक्ष) स्कूल शिक्षा बोर्ड।
4. लोक सर्म्पक अधिकारी,स्कूल शिक्षा बोर्ड को इन निर्देशों के साथ प्रेषित है कि वह इस अधिसूचना को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित करें।
5. PIMT Head को इस आश्य के साथ प्रेषित है, कि वह इस अधिसूचना एंव इससे सम्बन्धित आवेदन पत्र/निर्देशों को बोर्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध करवाये।

-Sd-
सचिव।